न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 65/2018

बउनवान

1– रामबिलास आयु 50 वर्ष पुत्र श्री अुर्जन जाति–मीणा
2– रामेश्वर आयु 46 वर्ष पुत्र श्री अर्जुन जाति–मीणा
निवासी–ग्राम भावगढ तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (अपीलांट्स)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल (रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलक्टर

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 08.10.2018

अपीलांट्स ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 18.2.2016 से अप्रसन्न होकर अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भावगढ, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म नहरी पर अतिकमी मानकर 1280/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन(तीन माह) के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर अपीलांट को कोई कब्जा नहीं है, फिर भी गलत रूप से कार्यवाहीं की गयी है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये एकतरफा कार्यवाहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। निर्णय नियम विरूद्व पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 106/2015 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सिवायचक नहरी भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 106/15 निर्णय दिनांक 23.02.2015 से बेदखल किया [illegible] है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को [illegible] पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजा[illegible] अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के निर्णय में कोई विधि[illegible] जाता है।

परिणामस्वरूप, अ[illegible] सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, [illegible] द्वारा प्रकरण संख्या 98/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है।